



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276930
CG-DL-E-08102026-276930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5265]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5265]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितंबर, 2026

का.आ. 5475(अ).— जबकि मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 3री मंजिल, मेकर चेम्बर्स IV, 222, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र – 400021, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना, “मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को थोक उपभोक्ता के रूप में 50 मेगावाट जीएनए-आरई उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फाइल नं. 25-17/28/2026-पीजी दिनांकित 16.02.2026 के द्वारा मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ट्रांसमिशन योजना, “मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को थोक उपभोक्ता के रूप में 50 मेगावाट जीएनए-आरई उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेज़ी में) दिनांक 11.04.2026, राजस्थान पत्रिका (हिंदी में) दिनांक 11.04.2026 और गुजरात समाचार (गुजराती में) दिनांक 11.04.2026 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 16.05.2026 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ने दिनांकित 20.07.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के अधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से

नौ अवलोकन/ अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनका जवाब मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिया गया है और इसके बाद कोई अन्य अवलोकन/ अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिनांक 20.08.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साम्रा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं:

- आरआईएल हजीरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन प्लांट (गांव मोरा, तालुका चोरासी, जिला सूरत, गुजरात में स्थित स्विचयार्ड) – नवसारी (नया) (220 केवी बस सेक्शन- II) डी/सी टावरों पर 220 केवी डी/सी लाइन।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइनें गुजरात राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

क्र.सं.	गाँव का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1.	मोरा, किडियाबेट (कादियाबेट), लिमला, सुवाली, हजीरा, उम्बेर (उभेर)	चोरासी	सूरत	गुजरात
2.	डुमस (डुमास, डुमास टाउन), सुल्तानाबाद, भीमपुर (भीमपुर), आभवा, खजोद, बुडिया	मजूरा (सूरत शहर)	सूरत	गुजरात
3.	गभेनी, तलंगपुर (तलंगपुर), उम्बेर (उभेर)	उधना (सूरत शहर)	सूरत	गुजरात
4.	दांती, भाठा, उंभराट (उभ्राट), दीपला, दांडी, निमलाई (निमाली), मगोब (मगोब भाठा), पारसोली	जलालपुर	नवसारी	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

- vi. मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा .सं .25-16/80/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5475(E).— Whereas M/s Reliance Industries Limited, the applicant with its registered office at 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra - 400021, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for providing 50 MW GNA-RE to M/s Reliance Industries Limited as bulk consumer.”

And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its File No.25-17/28/2026-POWER GRID (MoP) dated 16th February 2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for providing 50 MW GNA-RE to M/s Reliance Industries Limited as bulk consumer.”

M/s Reliance Industries Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers, The Times of India (in English) dated 11th April 2026, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 11th April 2026, Gujarat Samachar (in Gujarati) dated 11th April 2026 and in Weekly Gazette of India dated 16th May 2026 for the general public to make observations / representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Reliance Industries Limited has submitted an affidavit dated 20th July 2026 declaring that Nine observation / representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and the same have been answered by M/s Reliance Industries Limited and that no further representations were received.

M/s Reliance Industries Limited had submitted an Undertaking dated 20.08.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon’ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon’ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon’ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line in the transmission scheme, “Transmission system for providing 50 MW GNA-RE to M/s Reliance Industries Limited as bulk consumer.” The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- RIL Hazira Manufacturing Division Plant (switchyard located in Village Mora, Taluka Chorasi, District Surat, Gujarat) - Navsari (New) (220 kV Bus Section-II) 220 kV D/c line on D/c towers

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of the state of Gujarat: -

S. N	Name of the Villages	Tehsil	District	State
1.	Mora, Kādiabet (Kidiyabet, Kidiabet), Limla, Suvali, Hazira, Ubher (Umber)	Chorasi	Surat	Gujarat
2.	Dumās (Dumas, Dumas Town), Sultanabad, Bhimpur (Bhimpor, Bhimpore), Ābhawa (Abhva), Khajod, Budiya (Budia),	Majura (Surat City)	Surat	Gujarat
3.	Gabheni, Talangpur (Talangpor), Ubher (Umber)	Udhna (Surat City)	Surat	Gujarat
4.	Dānti (Danti), Bhātha (Bhatha), Umbhrāt (Umbhrat, Ubhrat), Dipla, Dāndi, Nimlāi (Nimlai), Magob (Magob Bhātha), Parsoli, Mangrol	Jalalpore	Navsari	Gujarat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Reliance Industries Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Reliance Industries Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical /expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/80/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)